झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1220 वर्ष 2017

प्रस्तावित उच्च विद्यालय, बिलिंगबिरा द्वारा प्रधानाध्यापक, फ्रांसिस बागवार, गुमला, झारखण्ड .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची

4. उपायुक्त, गुमला

5. अध्यक्ष, झारखण्ड अकादमिक परिषद्, राँची

6. सचिव, झारखण्ड अकादमिक परिषद्, राँची

7. जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला .....उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– सुश्री सुनीता कुमारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– जी0पी0–IV के जे0सी0

उत्तरदाता–जे0ए0सी0 के लिएः–श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

04 / 17.03.2017 याचिकाकर्ता और उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रतिवादी सं0 6, सचिव, झारखण्ड अकादमिक परिषद्, रांची द्वारा दिनांक 18.01. 2017 को जारी किए गए उसी कार्यालय आदेश द्वारा, जिसके तहत याची के स्कूल की मान्यता निरीक्षण के आधार पर रद्द कर दी गई है और याचिकाकर्ता को अपना मामला झारखण्ड अकादमिक परिषद् के समक्ष रखने के लिए कहा गया है।

इस स्तर पर, इसलिए, रिट याचिका के वर्तमान रूप में सहायक दस्तावेजों के अभाव में, याचिकाकर्ता के दावे के गुण–दोष में जाने के बिना, यह उचित समझा जाता है कि वह प्रत्यर्थी सं0 6, सचिव, झारखण्ड अकादमिक परिषद्, रांची के समक्ष उपस्थित हो और निर्णय पर पुनर्विचार के लिए सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना मामला प्रस्तुत करे। 21 मार्च, 2017 तक याचिकाकर्ताओं की इस तरह की उपस्थिति पर, प्रतिवादी–जे0ए0सी0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी इसके बाद के एक सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उनके अभ्यावेदन पर विचार करेगा।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)